(2)

नांक	टी०ए० मिस केस सं० 241/2018-19	अभ्युक्ति

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **जमादार देवगम** ,पिता– स्व0 सोगा देवगम, निवासी ग्राम– **लुपुंगुटू,** थाना– **मुफफसिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **लुपुंगुटू,** थाना नं०– **645,**के अन्दर खाता नं०– **28** प्लॉट नं०– **2209,** रकवा– **0.14**एकड़ भूमि क्रेता **कृष्णा सोय** ,पिता–स्व0 रेगा सोय ,ग्राम- **रूईडीह** थाना– **मुफफसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जॉच प्रतिवेदन की मॉंग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदक के स्वंय के नाम से खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–66, दिनांक– **23.1.2019** एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान निर्माण एंव ईलाज हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **कृष्णा सोय** ,पिता–स्व0 रेगा सोय ,ग्राम- **रूईडीह** थाना– **मुफफसिल** के पास **4,29,000.00/–** (चार लाख उनतीस हजार) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल** थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **3.38** एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **जमादार देवगम** ,पिता– स्व0 सोगा देवगम, निवासी ग्राम– **लुपुंगुटू,** थाना– **मुफ्फसिल,** क्रेता **कृष्णा सोय** ,पिता–स्व0 रेगा सोय ,ग्राम- **रूईडीह** थाना– **मुफ्फसिल** के पास जमीन को कुल **4,29,000.00/–** (चार लाख उनतीस हजार) में मौजा– **लुपुंगुटू,** थाना नं०– **645,**के अन्दर खाता नं०– **28** प्लॉट नं०– **2209,** रकवा– **0.14**एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृति........ दी जाती है

05.02.2019   05.02.2019

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईवासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा

Scanned with CamScanner